

कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 389 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश
का
क०सं०एवं
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आ
र्क
का
ब

30/07/2022

जमाबंदीदार श्री / श्रीमती श्री. वल्लभ मधुका पिता / मति बलदेव मधुका
मौजा उपल बलारौंग थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -ii पृष्ठ संख्या-
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 187 / 60-61 के आधार पर दर्ज
है। जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुजति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>उपल बलारौंग</u>	<u>283</u>	<u>192</u>	<u>410/3</u>	<u>1.30 एकड़</u>


सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 05/08/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती शिवराय पिता/पति बलदेव महुका मौजा उप-बलाली थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा उप-बलाली थाना नं० 283 खाता सं० 192 प्लॉट सं० 410/3 रकबा-1.30 हेक्टा लगान रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती है

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।


अंचल अधिकारी,
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-..... थाना नं० 283 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-..... पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।


अंचल अधिकारी,
अड़की।